कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक – 225/BEP/MUZ

दिनांक– 26/08/2019

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
हजरत अली एकेडमी
सादातपुर, पैगम्बरपुर कोल्हुआ
कांटी, मुजफ्फरपुर

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 09-04-19 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय हजरत अली एकेडमी (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) सादातपुर मुज० 01 कक्षा से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षो 2019-20 से 2021-22 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी:

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण जाएगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगी।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित, न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त लेंगे।

vii. शिक्षा अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः–

विद्यालय – परिसर का क्षेत्रफलः 1.5 एकड़

कुल निर्मित क्षेत्रः 15860 वर्गफीट

खेल के मैदान का क्षेत्रः 49480 वर्गफीट

वर्गकक्षों की कुल संख्याः 15

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष; – 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय ; है।

पेयजल की सुविधा; है।

मध्याहन भोजन के लिए रसोई–घर; नहीं।

बाधारहित पहुँच; है।

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय ; हाँ।

11. कोई भी वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण [illegible] समाप्ति [illegible] और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। [illegible] प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को जमा की जाएगी।

16. आपके विद्यालय का आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 225/BEP इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं प्रस्तुत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन के संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

26/8/2019

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान
बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर

23.08-2019

*e*SAMBANDHAN

Department Of Education , Bihar

Sl No.	List Sl.	Registration No	School Name	Block Name	School Address
12	43	21612042021913100000	St. Xavier International School	Kanti	Adarsh Gram Lanme No.3, Ward-5
13	45	21612042021921100000	HAZRAT ALI ACADEMY	Kanti	SADATPUR, N.H. 28, NEAR HAZRAT ALI COLONY
14	46	21612042021927100000	ORION PUBLIC SCHOOL	Kanti	AKURAHAN
15	48	2161204202193180000	CHANDRASHEEL VIDYAPEETH	Kanti	OPPOSITE KANTI THERMAL POWER STATION KANTI MUZAFFARPUR
16	49	216121320211115000000	GOLDEN VALLEY ACADEMY	Kurhani	GOLDEN VALLEY ACADEMY
17	52	216121320217301000000 0	Residential Radha Krishna Public School	Kurhani	Sakari Saraiya, Turki
18	56	21612132021919100000	SANJAP RAMANAND SARSWATI VIDYA MANDIR	Kurhani	HARISHANKAR MANIYARI
19	57	21612132021924000000	PARAMOUNT ACADEMY	Kurhani	SILOUT (BIMAL),
20	58	21612132021926100000	LIFE BRIGHT ACADEMY	Kurhani	AT PO SHAHPUR MARICHA PS MANIYARI
21	59	21612132021927000000	SAI MILLENNIUM SCHOOL	Kurhani	MADHAUL, SUSTA MADHUPUR
22	60	21612132021928100000	THE MURADPUR PUBLIC SCHOOL	Kurhani	AT MURADPUR PO MAHANTH MANIYARI
23	61	21612132021928100000	Vidhyayini Shiksha Kendra	Kurhani	Baghi Maniyar PO Baghi PS Maniyari
24	62	216120320211127000000	SRT School	Marwan	Boddh Vihar, Rautania
25	72	21612032021818100000	OXFORD PUBLIC SCHOOL	Marwan	GMC(PAKRI),PO:- CHAMARUA,PS:- KARJA,BLOCK:-MARWAN,DIST.:- MUZAFFARPUR,BIHAR
26	74	21612032021914100000	ANAND PREP. PUBLIC SCHOOL	Marwan	MANSURPUR CHAMARUA
27	75	21612032021921100000	SHANTINIKETAN SR.SEC SCHOOL BISHUNPUR GOVIND(RAUTINIA) MUZAFFARPUR	Marwan	Bishunpur Govind Rautinia, Ps Karja, Muzaffarpur
28	76	2161203202192120000	ACME PUBLIC SCHOOL	Marwan	VILLAGE+POST-BARKAGAON, P.S-KARJA, DIST-MUZAFFARPUR,BIHAR-843109

1133

Registration no: (216120420219211125718) Date: (20-05-2022) Valid till: (20-5-2025)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | MUZAFFARPUR
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

HAZRAT ALI ACADEMY

SADATPUR, N.H. 28, NEAR HAZRAT ALI COLONY

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 21-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 20-05-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय HAZRAT ALI ACADEMY, SADATPUR, N.H. 28, NEAR HAZRAT ALI COLONY, PO- KOLHUA PAIGHAMBARPUR, 842004 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 20-05-2022 से 20-5-2025 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा |

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 64 Dec डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 64 Dec डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- SCIENCE LAB, COMPUTER LAB, SMART CLASS, GEN SET, PALY GROUND ETC.

(iV) वर्ग कक्षों कीं कुल संख्या :- 15

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 2

(Vi) वालक तथा वालिकाओं क़े लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 12 , Girls 10

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 35

(Viii) मध्याह्न भोजन क़े लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- , , (Y , 843 , NewsPaper MagaZine:- 5)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [21612042021921125718, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संवंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, MUZAFFARPUR
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

District Education Officer
Muzaffarpur

NOC LETTER